रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-221968
CG-DL-E-25092020-221968

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2933] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2020/आश्विन 2, 1942
No. 2933] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2020/ASVINA 2, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2020

का.आ. 3281(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH266 के कि.मी. 43.3 से कि.मी.58.83 (तहसील कैंपस मिरज) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप) धारा-1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविशनल अफसर मिरज को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH266 के कि.मी. 43.3 से कि .मी. 58.83 (तहसील कैंपस मिरज) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राजपत्र क्र. १३ (अनुक्रमांक ३६१ दि. ३ जानेवारी २०१७) के अनुसार राष्ट्रीय महामार्ग २६६, जो जत गाव से शुरू होते हुए जत, कवटे महांकाळ, शिरधोन, तासगाव, पलुस, को जोडते हुए और कराड गाव में समाप्त होता है। जो राष्ट्रीय महामार्ग २६६ महाराष्ट्र राज्य में है, यह मुख्यतः उपरोक्त राजपत्र घोषित किया गया है।

तथापि राजपत्र 3 (अ) (अ) क्र. ८९६(अ) के संदर्भ के लिए प्राप्त हुआ था, इसे जांचने के बाद यह पता चला है की सदर राष्ट्रिय महामार्ग अनुसूची में रा.म १६६ई से संबोधित किया गया है। सदर राष्ट्रिय महामार्ग जत, कवटे महांकाळ, शिरधोन, तासगाव, पलुस से फैला है और कराड गाव जिल्हा सांगली, और सातारा, महाराष्ट्र में समाप्त होती है, यह सभी मंजूरी आदेश मे इसके नाम से वर्णीत किया गया है।

इसलिए यह अनुरोध है की सदर राष्ट्रिय महामार्ग का नाम रा.म १६६ई से रा.म २६६ जत, कवटे महांकाळ, शिरधोन, तासगाव, पलुस, जो की कराड में समाप्त होता है और जो मुख्यतः राजपत्र क्र. १३ (अनुक्रमांक ३६१ दि. ३ जानेवारी २०१७) के आदेशानुसार घोषित किया गया है, यह परिवर्तित नाम आधिकारिक राजपत्र में तदनुसार प्रकाशित किया जाए।

[फा. सं. 12037/66/2017-MAH-P6/3A4/Corr.]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2020

S.O. 3281(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH166E in the stretch of land from Km 43.3 to Km58.83 (Tehsil Campus Miraj) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Miraj in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further

enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH166E in the stretch of land from Km 43.3 to Km58.83 (Tehsil Campus Miraj) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA.

The Highway starting from village Taluka Jat District Sangali on NH.266 and connecting Jat, Kavathe Mahnkal, Shirdhon, Tasgaon, Palus terminating at Karad on NH.266 in the state of Maharashtra is principally declared vide Gazette No.13 (Sr. No.361 Dated 3rd January 2017 by the Ministry.

However while going through the 3A Gazette No. 896 (E) receive under reference it is observed that the Name of the National Highway in schedule describing NH-166E stretch from Jat, Kavathe Mahnkal, Shirdhon, Tasgaon, Palus terminating at Karad in the District of Sangli and Satara in the state of Maharashtra it is described as per the T.A.F.S. order.

Hence it is requested to change the name of National Highway as starting from NH-166E to NH-266 Jat, Kavathe Mahankal, Shirdhon, Tasgaon, Palus terminating at Karad as per the principally declared vide Gazette No.13 (Sr. No.361 Dated 3rd January 2017 by the Ministry and publish the same in the official gazette accordingly.

[F. No. 12037/66/2017-MAH-P6/3A4/Corr.]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.05.25 16:16:48 +05'30'